**हिमाचल प्रदेश सरकार**
**विधि विभाग**

*संख्या एल0एल0आर0–डी0(6)–25/2025–लेज शिमला–2* *1 नवम्बर, 2025*

**अधिसूचना**

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2025 को दिंनाक 28–10–2025 को प्रख्यापित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, अध्यादेश के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। अतः उपरोक्त अध्यादेश को वर्ष 2025 के अध्यादेश संख्यांक 4 के रुप में अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

**(डॉ0 विवेक ज्योति)**
**संयुक्त विधि परामर्शी एवं संयुक्त सचिव (विधि)**
**हिमाचल प्रदेश सरकार**

**अध्यादेश यहां प्रकाशित किया जाए ।**

2025 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 4

**हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2025**

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए **अध्यादेश ।**

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं है और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उनके लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:–

संक्षिप्त नाम। 1. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2025 है।

धारा 36 का संशोधन। 2. हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 36 में,–

i) उपधारा (1) में ''और तत्पश्चात् प्रत्येक अढ़ाई वर्ष के अवसान पर'' शब्दों का लोप किया जाएगा; और

ii) उपधारा 2 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

" निगम के महापौर और उप महापौर की पदावधि उसके निर्वाचन की तारीख से पांच वर्ष की होगी, जब तक कि इस बीच महापौर या उप महापौर के रूप में वह अपने पद से त्यागपत्र नहीं दे देता या जब तक उप महापौर के मामले में वह महापौर के रूप में निवार्चित नहीं कर दिया जाता और वह अपनी पदावधि के अवसान पर अपने पद पर नहीं रहेगाः

परन्तु यदि महापौर या उप महापौर का पद रिक्त हो जाता है या इस कार्यकाल के दौरान मृत्यु, त्यागपत्र या अविश्वास प्रस्ताव के कारण रिक्त हो जाता है तो रिक्ति होने के एक मास की अवधि के भीतर उसी वर्ग से शेष अवधि के लिए नया निर्वाचन करवाया जाएगा।"।

(शिव प्रताप शुक्ल)
राज्यपाल हिमाचल प्रदेश

(डॉ० विवेक ज्योति)
संयुक्त सचिव (विधि)

शिमलाः..................

तारीखः..28 अक्तूबर, 2025

**AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT**

**H.P. ORDINANCE NO 4 OF 2025**

**THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) ORDINANCE, 2025**

Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Seventy-sixth Year of the Republic of India.

**AN ORDINANCE** further to amend the Himachal Municipal Corporation Act, 1994 (Act No. 12 of 1994).

**WHEREAS,** the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him take immediate action;

**NOW, THEREFORE**, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:-

**Short title.** 1. This Ordinance may be called the Himachal Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 2025.

**Amendment of section 36.**

2. In section 36 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994,-

a) in sub-section (1), the words "and thereafter at the expiration of every two and half years", shall be omitted; and

b) for sub-section 2, the following shall be substituted, namely:-

" The term of office of the Mayor and Deputy Mayor of the Corporation shall be five years from the date of election, as such, unless in the mean time he resigns his office as Mayor or Deputy Mayor or unless in the case of Deputy Mayor is elected as the Mayor and he shall cease to hold his office on the expiry of his term of office:

Provided that if the office of the Mayor or Deputy Mayor is vacated or falls vacant during the tenure on account of death, resignation or no-confidence motion, a fresh election within a period of one month of the vacancy shall be held from the same category, for the remainder period. ".

**(SHIV PRATAP SHUKLA)**
**Governor, Himachal Pradesh.**

**(DR VIVEK JYOTI)**
**Joint Secretary (Law)**

SHIMLA:
DATED: 28TH OCTOBER,2025